

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 28/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 05/2020

प्रेस नोट

थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा 03 चोर गोविन्द प्रजापति, अंकित साहनी व मनी साहनी गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक अदद मोबाइल(सैमसंग-A7 कीमत-24,000/- रुपये) बरामद

दिनांक 04.09.2020 को भेलूपुर पुलिस टीम के 30नि0 गौरव उपाध्याय मय हमराह के क्षेत्र में हरिश्चन्द्र घाट तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीन संदिग्ध लड़के जो मोबाइल चोर हैं और चोरी का मोबाइल बेचने की फिराक में हरिश्चन्द्र घाट के पास मौजूद हैं। इस सूचना पर हरिश्चन्द्र घाट चौराहे पर पहुंचकर तीनों लड़कों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये लड़को से नाम पता पूछने पर अपना नाम 1. गोविन्द प्रजापति पुत्र मंगला प्रसाद प्रजापति निवासी बी 13/62 पाण्डेय हवेली, थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष, 2. अंकित साहनी पुत्र राजेश साहनी निवासी बी 7/46 बाघहाडा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष व 3. मनी साहनी पुत्र पप्पू साहनी, निवासी बाघहाडा, थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष बताया गया। इनके कब्जे से एक अदद चोरी का मोबाइल (सैमसंग-A7 कीमत-करीब 24,000/- रुपये) बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में तीनों ने बताया कि हम लोगों द्वारा दिनांक 03.09.2020 को रात्रि में गौरीगंज फीलखाना से सैमसंग A7 मोबाइल फोन चोरी किया गया था। जिसको आज बेचने लाये थे किन्तु आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. गोविन्द प्रजापति पुत्र मंगला प्रसाद प्रजापति निवासी- बी 13/62 पाण्डेय हवेली, थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष,
2. अंकित साहनी पुत्र राजेश साहनी निवासी- बी 7/46 बाघहाडा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष
3. मनी साहनी पुत्र पप्पू साहनी निवासी- बाघहाडा, थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष

बरादमगी

1. एक अदद चोरी का मोबाइल SAMSUNG A7 रंग काला मूल्य करीब 24,000/- रुपये।

मुकदमा विवरण-

1. मु.अ.सं. 0431/2020 धारा 379/411 भादवि थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी

गिरफ्तारी का समय व स्थान:-

दिनांक-04/09/2020 को समय करीब 23.45 बजे हरिश्चन्द्र चौराहा शौचालय के पास थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री अजय कुमार श्रोतिया प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
2. उ0नि0 गौरव उपाध्याय थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
3. कां0 मनोज कुमार साहू थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
4. कां0 आलोक कुमार थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त प्रदीप कुमार प्रजापति चोरी की बैटरी के साथ गिरफ्तार

आज दिनांक 05.09.2020 को उनि0 मिथलेश कुमार चौकी प्रभारी पुरानापुल थाना सारनाथ मय हमराह के बाबा विश्वनाथ मिष्ठान तिराहा के पास चेकिंग कर रहे थे कि एक आटो पंचकोशी से पाण्डेयपुर आता हुआ दिखाई दिया जिसे टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया गया। आटो में बैठे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आटो से कूदकर नक्खीघाट की तरफ भागने लगा जिसका पीछा का0 मनीष कुमार यादव द्वारा किया गया किन्तु वह अन्धरे का लाभ लेते हुये मौके से भागने मे सफल रहा। चालक की सीट पर बैठे हुये व्यक्ति को चेक किया गया व नाम पता पूछा गया तो अपना नाम प्रदीप कुमार प्रजापति पुत्र खदेरू नि0 भक्ति नगर गेट नं0 2 थाना लालपुर- पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 19 वर्ष बताया। चालक उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी, जिसके पास से 01 अदद पेचकस मुट्टीया हरा कलर व 01 अदद सब्जी काटने वाला चाकू बरामद हुआ। आटो की तलाशी ली गयी तो आटो में 01 अदद बैटरी 12 वोल्ट Taurus कम्पनी HBL Power System Ltd India रंग सफेद ऊपरी भाग काला दोनो तरफ टांगने वाला बरामद हुई।

बैटरी उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछने पर कोई समुचित उत्तर नहीं दे सका। चालक प्रदीप कुमार प्रजापति उपरोक्त को संदिग्ध चोरी की नाजायज बैटरी रखने के सम्बन्ध में उसके जुर्म अन्तर्गत धारा 41/411 भादवि से अवगत कराते हुये समय करीब 01.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा आटो को सीज किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- प्रदीप कुमार प्रजापति पुत्र खदेरू नि0 भक्ति नगर गेट नं0 2 थाना लालपुर- पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 509/2020 धारा 41/411 भा0द0वि0 व धारा 207 MV Act थाना सारनाथ वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद बैटरी 12 वोल्ट
- 01 अदद पेचकस
- 01 अदद सब्जी काटने वाला चाकू

गिरफ्तारी का समय व दिनांक व स्थान

दिनांक 05.09.2020 समय 01.45 A.M. बाबा विश्वनाथ मिष्ठान तिराहा सांरग चौराहा थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.उ0नि0 मिथलेश कुमार थाना सारनाथ वाराणसी ।
- 2.का0 मनीष कुमार यादव थाना सारनाथ वाराणसी ।
- 3.का0 शत्रुघ्न सिंह थाना सारनाथ वाराणसी ।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 30/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 05/2020

प्रेस नोट

थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना भेलूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 859/2019 धारा 363/366/370/506/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार गिरफ्तार, नाबालिग पीड़िता बरामदा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम भेलूपुर को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उ0नि0 राम भवन प्रजापति मय हमराह के सुदामापुर तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि थाना भेलूपुर पर पंजीकृत मुकदमें में अपहृता व अभियुक्त सुनील कुमार कमच्छा तिराहे पर कही जाने की फिराक में मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र कलट्टर निवासी ग्राम कसावा थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अपहृता को भी सकुशल बरामद कर लिया गया।

अभियुक्त सुनील कुमार से पूछताछ करने पर बताया कि अपहृता मेरी पत्नी है और उसके पास जो बच्चा उसकी गोद में है वह मेरा है। मेरी पत्नी(अपहृता) की माँ ने मुकदमा लिखवाया है उसी सिलसिले में यहाँ आया था और कचहरी जाने हेतु यहाँ खडा होकर साधन का इन्तजार कर रहा था। अभियुक्त सुनील कुमार को अपराध बोध कराते हुए समय करीब 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अपहृता/पीड़िता व उसके बच्चे को महिला आरक्षी द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया गया। उक्त संबंध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ अभियुक्त:-

सुनील कुमार पुत्र कलट्टर निवासी ग्राम कसावा थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज पूछताछ पर बता रहा है कि मैं बाथमजाकी का रहने वाला हूँ मेरी शादी नहीं हो पा रही थी मेरे मोहल्ले वाले नहीं

होने देते थे लड़की वाले आते थे तो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताकर लड़की वालों को बहका देते थे। इसी दौरान सुधीर मेरे मार्केट में आते थे अचानक मेरी बात, शादी न होने के सम्बन्ध में सुधीर जी से हुई और शादी कराने हेतु उनसे कहा तो वह राजी हो गया। बताया कि मेरी पत्नी की जानकारी में बनारस की एक लड़की है उससे करा दूंगा उस बात पर मैंने हाँ कर दिया और बताया कि इधर शादी का कार्यक्रम चलेगा और 2 लाख रूपया मेरी पत्नी को देना होगा। मेरी शादी 30 अप्रैल 2019 को गाँव के ही गामिन देवी मंदिर में हुई है। उसी समय मैंने 500 – 500 की व 100-100 की कुल 2,00,000/- (शब्दों में) दो लाख रुपये भी दिया था। सुधीर व उसकी पत्नी ग्राम दीबीयापुर थाना तालग्राम जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं। मुकदमे की जानकारी होने पर सुधीर की पत्नी मेरे घर आकर मेरी पत्नी(अपहृता) को धमकाती थी कि अपनी माँ से मुकदमा वापस लेने को बोल दो नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं हमारा एक बच्चा है, जो 01 माह का है। हम लोगों ने उसका नाम शनी रखा हुआ है उसी मुकदमें की सिलसिले में कचहरी जाने हेतु यहाँ पर खडा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। मुकदमें से हम लोगो को बचा लो हम लोग पति पत्नी की तरह रहते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

- सुनील कुमार पुत्र कलहूर निवासी ग्राम कसावा थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:

- दि० 05.09.2020 व समय 10.30 बजे, स्थान- कमच्छा तिराहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:

1. श्री अजय कुमार श्रोतिया प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर वाराणसी।
2. उ०नि० राम भवन प्रजापति थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
3. का० महेन्द्र कुमार पाल थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
4. म०का० नीलू सिंह थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

(पी०आर०सेल)

जनपद वाराणसी



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 30/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 05/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 05.09.2020 को थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा 04 अभियुक्त अजय कुमार, गौतम चौहान, बृजेश चौहान व राज गुप्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 04 अदद मोबाईल, 01 अदद अवैध देशी तमन्चा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद चाकू नाजायज व घटना में प्रयुक्त एक अदद पल्सर मोटर साइकिल बरामद

आज दिनांक 05.09.2020 को थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 04 व्यक्तियों 1. अजय कुमार, 2. गौतम चौहान, 3. बृजेश चौहान व 4. राज गुप्ता को गणेश टेलिकाम के पास ग्राम गौर थाना मिर्जामुराद से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी के 04 अदद मोबाईल, एक अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर मय 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, एक अदद चाकू नाजायज, एक अदद चोरी गया मन्दिर का पीतल का घंटा व घटना में प्रयुक्त एक अदद पल्सर मोटर साइकिल बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पकड़े गये व्यक्तियों से बरामद हुए माल के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताये कि हम सभी लोग मिलकर चोरी/छिनैती का काम करते हैं तथा उसको बेचने से जो भी पैसा मिलता है, हम लोग आपस में बराबर-बराबर बांट लेते हैं। आज भी हम लोग चोरी का मोबाइल व पीतल का घण्टा बेचने जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- (1) अजय कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी अरका कंशरायपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष।
- (2) गौतम चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी खगरामपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र लगभग 19 वर्ष।
- (3) बृजेश चौहान पुत्र छविनाथ चौहान निवासी खगरामपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र लगभग 19 वर्ष।
- (4) राज गुप्ता पुत्र त्रिलोकीनाथ गुप्ता निवासी गौर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0209/20 धारा – 41/411/413/414 भादवि
2. मु0अ0सं0- 0210/20 धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0- 0211/20 धारा – 4/25 आर्म्स एक्ट
4. मु0अ0सं0- 0186/20 धारा- 380/411 भादवि

बरामदगी का विवरण-

- 04 अदद मोबाईल
- एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- एक अदद चाकू नाजायज
- एक अदद पीतल का मन्दिर का घंटा
- एक अदद मोटर साइकिल पल्सर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्र0नि0 मिर्जामुराद सुनील दत्त दुबे, उ0नि0 अजीत प्रताप यादव, उ0नि0 ब्रजेश सिंह, का0 सत्य प्रकाश गोड़ व का0 अरविन्द कुमार यादव थाना मिर्जामुराद वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 31/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 05/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 05.09.2020 को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0 0433/20 धारा 376/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल कुमार गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र मूलचन्द गुप्ता निवासी ग्राम नई बाजार पटेरवा थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को चौबेपुर चौराहे से समय करीब 06.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- अनिल कुमार गुप्ता पुत्र मूलचन्द गुप्ता नि0ग्राम नई बाजार पटेरवा थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- व0उ0नि0 शेष कुमार शुक्ला, का0 रोशन त्रिपाठी व का0 प्रवीण राज थाना चौबेपुर वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 32/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 05/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी के कुशल दिशा निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी पिण्डरा के नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2020 को थाना फूलपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 132/2020 धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता को सिन्धौरा बाजार बस स्टैण्ड के पास से समय लगभग 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

- एक अभियुक्ता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 संजीत बहादुर सिंह, म0का0 अपर्णा तिवारी व म0का0 आभा पाण्डेय थाना फूलपुर वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 33/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 05/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 05-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 60 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *71 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1294 वाहनों का चालान तथा 424 वाहनों से रु0-3,09,700/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 05-09-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1355 व्यक्तियों से रु0-75,900/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी